

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

प्राप्ति- भूमि पुर

विषय- भूमि पुर

जनपद- भैद्री

ग्राम पंचायत ने दिनोंक 28/16/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनुज्ञाती / जनजाती / वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे/मूगिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं
1	रेखा देली	उम्र	अध्यक्ष	9538724146
2	रेखा गोडी	OBC	36	8564829969
3	उमेश काशा यादव	OBC	33	7068912626
4	प्रियंका गुरु	OBC	38	7985516146
5	प्रियंका रारीज	SC	32	9140900673
6	गीरा	SC	34	7985022747
7	रविल	SC	32	9580972403
8	रीना	SC	34	9616300711
9	सुदेली	SC	32	8127799506
10	रीता	SC	38	9935355282
11	आटहेट्टर	OBC	38	9936606199
12	रामपति	SC	37	9305210039
13	राजेशा	SC	36	9305966006
14	विनोद झुमार	OBC	39	9956929236
15	वंद्रावती	SC	38	8423618919

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई रत्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल करने हेतु तकनीकि तिकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समर्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के नियंत्रण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्देशन
1	रमेश देवी	अध्यक्ष	रमेश
2	रमेश मीरा	सचिव	मीरा
3	ओम प्रसाद	कोषाध्यक्ष	ओम प्रसाद
4	प्रेम कुमार	सामान्य सदस्य	प्रेम कुमार
5	जग प्रकाश भरोज	सामान्य सदस्य	जग प्रकाश
6	मीरा	सामान्य सदस्य	मीरा
7	रीका	सामान्य सदस्य	रीका
8	रीता	सामान्य सदस्य	रीता
9	रुद्रेश	सामान्य सदस्य	रुद्रेश
10	रीता देवी	सामान्य सदस्य	रीता देवी
11	अच्छाल	सामान्य सदस्य	अच्छाल
12	रमेश	सामान्य सदस्य	रमेश
13	रोकेश	सामान्य सदस्य	रोकेश
14	विनोद कुमार	सामान्य सदस्य	विनोद कुमार
15	चन्द्रपती	सामान्य सदस्य	

प्रकाश नारायण-लाल
विनोद कुमार, विनोद-भद्री
रमेश